MOU M.P. Bhoj Open University Bhopal

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

MPBOU

राजा भोज मार्ग चूनाभट्टी, भोपाल, (म. प्र.)

महाविद्यालय से अनुबंध किये जाने हेतु पंजीयन प्रपत्र

कार्यक्रम दिनांक – ....

1.	महाविद्यालय का नाम	शासकीय महाविद्यालय मकरोनियाँ
2.	महाविद्यालय का पता	अंकुर स्कूल परिसर, दीनदयाल नगर मकरोनियाँ सागर
3.	प्राचार्य का नाम	डॉ० र० सी० जैन
	मोबाईल नं.	7999178099
4.	प्रभारी अधिकारी का नाम	डॉ० कमलेश कुमार दुबे
	मोबाईल नं.	9893689049
5.	महाविद्यालय का संपर्क सूत्र फोन नं.	07582-262900
	फैक्स नं.	—
	ईमेल	makroniyacollege@gmail.com
6.	महाविद्यालय का खाता विवरण बैंक का नाम	Indian Overseas Bank Makroniya Sagar
	खाता क्रमांक	219001000004141
	आई.एफ.सी. कोड	IOBA0002190

हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित

प्रभारी

शासकीय महाविद्यालय

मकरोनिया, सागर

(5) प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा संत्रात परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छ, हवा, प्रकाश, जल, शौचालय (छात्र–छात्राओं का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाऐं जो अध्ययन केन्द्र के लिये आवश्यक हो तो उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे समन्वयक, शिक्षकों, एक लिपिक आदि सभी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा।

(7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

(8) अध्ययन केन्द्र के लिए आंशिक अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षः विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।

(9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का प्रोराटा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के एकाउंट में स्थानांतरित की जायेगी। इस राशि में सम्पर्क कक्षायें तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहें है उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।

(11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। तो ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अशंदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

(12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा।

(13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उदेश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय–समय पर आवश्यक आदेश/निर्देश/शर्ते जारी किये जाऐगें, उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

(14) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखो एंव परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगाः–

1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।

"अनुबंधपत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र...सागर........ के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंम्भ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहाहै।

प्रथम पक्षः मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्षः शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत)

अनुबंध की शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगें। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर अपने सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।

2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यो को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति वश संसूचित किये जायेगें।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखो सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेगें।

(2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नही हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।

(3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 13 सैद्धांतिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 13 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाऐं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तरपुस्तिकाऐं निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ंयन केन्द्र का होगा।

3. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तों में विहित प्रावधानों के विपरीत हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पर्क कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता निरस्त।
5. सत्रीय कार्य तथा संत्रात परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों के लिये प्रदत्त अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थियों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा लेखा का संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।
9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।
10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी बिन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद् कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. इस अनुबंध की तीन मूल प्रतियाँ हस्ताक्षर की जा रही है। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार प्राचार्य शास. महाविद्यालय मकरोनिया को एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र सागर के अधिपत्य में संधारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेगी।
4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं किसी पृष्ठ में कोई काट-छाट नहीं है।
5. अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष/उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले मानदेय एंव अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक ....को दोनो पक्षो की सहमति में पूर्ण होशोहवास में एवं गवाहो की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तो को दोनो पक्षो द्वारा मान्य किया जा रहा है।

कुलसचिव
मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
भोपाल

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
मकरोनिया, सागर

गवाह

1. Dr. अंजली रिज़
2. Dr. शैलेन्द्र कौशिक

गवाह

1. Dr. K.K. Dubey
2. Dr. Rashmi Yadav

मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

PROF. DIWAKAR SINGH RAJPUT
Professor of Sociology
Dr. H. S. Gour University, Sagar MP
Cell No: 9425171858

Regional Director
Regional Centre, SAGAR
Madhya Pradesh Bhoj (Open)
University, Bhopal ☎:- 07582-264130
Regionalcentresagar1300@gmail.com

Ref NO. : BHOJ/2021/...619............ Sagar, Dated : 08-04-2021

प्रति,

प्राचार्य महोदय,
शासकीय महाविद्यालय मकरोनियां,
अंकुर स्कूल परिसर, दीनदयाल नगर मकरोनियॉं
जिला–सागर (म.प्र.)

विषय: नवीन महाविद्यालय अध्ययन केन्द्रों के अनुबंध प्रेषित करने बावत।
संदर्भ: अवर सचिव म.प्र.शासन उचच शिक्षा विभाग का पत्र क99 / 1415 / 2019 / 38–3, दिनांक 23.01.2020.
संदर्भ: पत्र क्रमांक / 6261 / वि.सहा. / मप्रभोमुविवि / 2021, दिनांक 16.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि कुलसचिव म0प्र0 भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा आपके शासकीय महाविद्यालयों में नवीन अध्ययन केन्द्र स्थापित की कार्यवाही करने हेतु आपके महाविद्यालय का पंजीयन प्रपत्र व अनुबंध प्रकिया पूर्ण कर एक प्रति कुलसचिव महोदय के हस्ताक्षर उपरांत आपको भेजी जा रही है, इस हेतु संबंधि आवश्यक कार्य हेतु पत्र प्रस्तुत है।

सधन्यवाद ।

संलग्न–01– अनुबंध पत्र की मूल प्रति।
02–पंजीयन प्रपत्र बैंक विवरण सहित मूल प्रति।

शास. म. म. सागर
जावक क्र...11......
दिनांक 15/06/21

08/04/2021

(प्रो0 दिवाकर सिंह राजपूत)
क्षेत्रीय निदेशक
Prof. D.S. Rajput
Regional Director
M.P. Bhoj Open University
Regional Centre SAGAR (M.P.)

MOU S.R.Govt. Polytechnic College, Sagar

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR EDUCATIONAL COOPERATION

Between

Govt. College, Makroniya, Sagar (M.P.), India
and
S. R. Govt. Polytechnic College, Sagar (M.P.), India

In accordance with the advancement of educational learning environment and developing programs of academic exchanges for the purpose of establishing a long-term mutually beneficial association, S. R. Govt. Polytechnic College, Sagar (M.P.), India and Govt. College, Makroniya, Sagar (M.P.), India join in the following Memorandum of Understanding. Both parties agree to exercise their best efforts to develop the following types of cooperation:

1. Promote mutual understanding and academic collaboration.
2. The purpose of this Memorandum of Understanding is to stipulate an academic and management framework between the two parties. The parties do not intend to be legally bound to each other, and this Memorandum of Understanding does not impose legal obligations on either one.

Both S. R. Govt. Polytechnic College, Sagar (M.P.), India and Govt. College, Makroniya, Sagar (M.P.), India are committed to working together to develop specific agreements on the points above. These agreements will provide logistical and management details appropriate to the successful operation of the educational program. These agreements will satisfy the soul and motivation behind this Memorandum of Understanding.

Signed for and on behalf of

Govt. College, Makroniya, Sagar (M.P.), India	**S.R. Govt. Polytechnic College, Sagar (M.P.), India**
(Prof. A. C. Jain) (Signature) प्रभारी प्राचार्य शास. महाविद्यालय मकरोनिया सागर	(Dr. Y. P. Singh) (Principal)
Date: 02-03-2022	शास. म म. सागर आवक क्र. 157 दिनांक 04/03/22